एम. बी. रमेश (डी) जरिये विधिक प्रतिनिधि

बनाम

के. एम. वीराज उर्स (डी) जरिये विधिक प्रतिनिधि व अन्य

(सिविल अपील संख्या 1071/2006)

3 मई, 2013

[एच.एल. गोखले तथा रंजना प्रकाश देसाई, जे.जे.]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 68 और 71 -वसीयत के निष्पादन का प्रमाण - वसीयत के आधार पर प्रकरण - विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वाद को यह तय करते हुए खारिज किया कि वसीयत धारा 63(ग) उत्तराधिकार अधिनियम की आवश्यकताआेंं को पूरा नहीं करता थी - उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में वाद को डिक्री कीया - अभिनिर्धारित कियाः मामले के तथ्यों से कहा जा सकता है कि 'वसीयत' सहायक परिस्थितियाँ की अन्य साक्ष्यों की सहायता से साबित हुई है जो धारा 71 में अनुमेय हैं - वाद डिक्रि - उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 - धारा 63(ग)।

वसीयतः

वसीयत की जांच - न्यायालय की भूमिका - अभिनिर्धारित कियाः न्यायालय की भूमिका इस बात की जांच करने तक ही सीमित है कि क्या

मृतक की अंतिम वसीयत के रूप में प्रस्तावित दस्तावेज वसीयतकर्ता द्वारा किया गया है या नहीं और क्या यह स्वतंत्र और स्वस्थ मन का उत्पाद है।

वसीयत का प्रमाण - साक्ष्य का मानक - अभिनिर्धारित कियाः वसीयत को भी किसी अन्य दस्तावेज की तरह ही साबित करना होगा, सिवाय इसके कि साक्ष्य के अतिरिक्त धारा 63 उत्तराधिकार अधिनियम तथा धारा 68 साक्ष्य अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा - उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 - धारा 63 - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 68।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 100 - दूसरी अपील - गुंजाइश - अभिनिर्धारित कियाः तथ्य के प्रश्न पर भी दूसरी अपील पर विचार किया जा सकता है - क्या कोई विशेष प्रश्न कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है- एक दस्तावेज़ का शीर्षक निर्माण या दस्तावेज़ जो पक्षों के अधिकारों का आधार है, यह कानून का सवाल उठाता है।

प्रत्यर्थियों-वादी ने वसीयतकर्ता द्वारा की गई वसीयत के दम पर वाद दायर कर वसीयत संपत्ति पर उनके अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा से अपीलार्थीयों-प्रतिवादियों को उनके कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने बाबत् पाबंध करने के लिए प्रार्थना की। विचारण न्यायालय के

साथ-साथ ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादीगण वसीयत को धारा 63(ग) उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की आवश्यकता अनुसार साबित करने में विफल रहे है आैर वाद को खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में कानून का यह प्रश्न तैयार किया कि क्या समवर्ती निष्कर्ष जो वादी के पास हैं यह साबित नहीं हुआ कि वसीयत कानूनी रूप से खराब थी और उस में निष्कर्ष सम्मान विकृत और अभिलेख पर साक्ष्य के विपरीत थी? उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में कानून के प्रश्न को तय कर वाद को डिक्री किया।

वर्तमान अपील में विचार के लिए यह प्रश्न थे कि क्या वसीयतकर्ता की वसीयत को वैध रूप से निष्पादित किया गया था और वादी द्वारा साबित किया गया था; और क्या तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में उच्च न्यायालय धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप करने में सही था।

न्यायलय ने **याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित कियाः**

1.1. एक वसीयत को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार आवश्यक तरीके से निष्पादित किया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार वसीयत को कम से कम एक प्रमाणित गवाह को परीक्षित करा के साबित किया जाना आवश्यक है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 एक और जुड़ी हुई धारा है "जो अनुमेय है और

एक सक्षम धारा है जो किसी पक्ष को कुछ परिस्थितियों में अन्य सबूत पेश करने की अनुमति देती है", और एक तरह से धारा 68 के अनिवार्य प्रावधान की कठोरता को कम कर दिया। धारा 71 उस पक्ष को सहायता देने और बचाव के लिए है जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, लेकिन अन्यथा उसे निराश किया जाएगा यदि अन्य सबूतों द्वारा उचित निष्पादन को साबित करने के अन्य तरीकों की अनुमति नहीं है। साथ ही इस धारा को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के साथ पढ़े जाने वाले उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत एक गवाह को साक्ष्य में पेश करने के दायित्व से किसी पक्ष को मुक्त करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है, भले ही वह जीवित और उपलब्ध हो। [पैरा 16] [587-एफ-एच; 588-ए-बी]

जानकी नारायण भोइर बनाम नारायण नामदेव कदम **2003(2) एस.सी.सी. 91: 2002 (5) सप. एस.सी.आर. 175 - संदर्भित किया।**

1.2. वर्तमान मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की आवश्यकता पूरी हो गई है, क्योंकि एक प्रमाणित गवाह यानी पीडब्लू-02 को वसीयत के निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से बुलाया गया था, और उसने उस प्रभाव की गवाही दी है। पीडब्लू-02 ने कहा है कि उन्होंने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं और वसीयतकर्ता ने भी उनकी उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं। हालाँकि उनकी साक्ष्य इस मुद्दे पर मौन हैं कि क्या वसीयतकर्ता ने अन्य

प्रमाणित गवाह की उपस्थिति में वसीयत निष्पादित की, और क्या अन्य प्रमाणित गवाह ने भी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 (ग) एक वैध और लागू करने योग्य वसीयत की आवश्यकता को बताती है कि इसे दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना निशान लगाते हुए देखा हो, और प्रत्येक गवाहों ने भी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हो। वसीयत को किसी भी अन्य दस्तावेज की तरह साबित करना होगा, सिवाय इसके कि वसीयत के सबूत में दिए गए साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अलावा उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 की आवश्यकता को भी पूरा करना चाहिए। [पैरा 17] [589-सी-जी]

आर. वेंकटचाला अयंगर बनाम बी. एन. थिम्माजम्मा **ए.आई.आर 1959 एस.सी. 443: 1959 सप. एस.सी.आर. 426;** *श्रीमती जसवंत कौर बनाम श्रीमती अमृत कौर* **ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 74: 1977 (1) एस.सी.आर. 925 - भरोसा किया।**

1.3. वर्तमान मामले में, यह तथ्य कि दूसरा प्रमाणक गवाह वसीयत के निष्पादन के समय उपस्थित था प्रतिवादियों द्वारा पीडब्लू 02 से यह सवाल कर विरोध नहीं किया गया था कि जब वसीयत निष्पादित की गई थी तो दूसरा प्रमाणित करने वाला गवाह मौजूद नहीं था। जहाँ कहीं भी

प्रतिद्वंद्वी ने अपने आवश्यक और भौतिक मामले को जिरह में रखने के अवसर का लाभ उठाने से इनकार कर दिया है, इसका मतलब यह होना चाहिए कि उसका मानना है कि दी गई गवाही बिल्कुल विवादित नहीं हो सकती है। यह आवश्यक न्याय का नियम है। [पैरा 20] [593-एफ-एच]

ए.ई.जी. कैरापिएट बनाम ए.वाई. डर्डेरियन **ए.आई.आर 1961 कलकत्ता 359**-संदर्भित किया।

1.4. यह सच है कि मौजूदा मामले में, पीडब्लू 02 द्वारा कोई विशेष बयान नहीं दिया गया है कि उसने अन्य गवाह को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा था, लेकिन उसने कहा है कि अन्य गवाह ने भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे। उसने अपने हस्ताक्षर साबित कर दिए हैं, और इसके शीर्ष पर उन्होंने जिरह में यह भी कहा है कि दिनांक 24.10.1943 को वसीयत लिखते समय अन्य गवाह, स्वयं वसीयतकर्ता, एक 'एस' और वसीयत के लेखक सभी उपस्थित थे, जिसे अगले ही दिन पंजीकृत किया गया था। निहितार्थ और अनुमान द्वारा इस कथन को अन्य गवाह द्वारा आवश्यक सत्यापन साबित करने के रूप में माना जाएगा। यह बयान, रिकॉर्ड पर रखी गई परिस्थितियों के साथ, निश्चित रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 द्वारा अनुमत अन्य सबूतों द्वारा वसीयत को साबित करने का गठन करेगा [पैरा 21] [594-ई-जी]

महालक्ष्मी बैंक लिमिटेड बनाम कामख्यालाल गोयनका **ए.आई.आर. 1958 असम 56-संदर्भित किया।**

1.5. इस निष्कर्ष पर पहुंचते समय कि क्या वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया था, न्यायालय को परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक को संतुष्ट करना चाहिए। वसीयत से संबंधित मामलों में न्यायालय की भूमिका यह जांचने तक ही सीमित है कि क्या मृतक की अंतिम वसीयत के रूप में प्रस्तावित उपकरण वसीयतकर्ता द्वारा किया गया है या नहीं, और क्या यह स्वतंत्र और स्वस्थ निपटान दिमाग का उत्पाद है। [पैरा 24] [597-सी-ई]

आर. वेंकटचाला अयंगर बनाम बी.एन. थिम्माजम्मा **ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 443: 1959 सप. एस.सी.आर. 426;** *श्रीमती जसवंत कौर बनाम श्रीमती अमृत कौर* **ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 74: 1977 (1) एस.सी.आर. 925;** *गुरदेव कौर बनाम काकी* **2006 (1) एस.सी.सी. 546 - पर भरोसा किया।**

विष्णु रामकृष्ण बनाम नाथू विट्ठल **ए.आई.आर. 1949 बॉम्बे 266- संदर्भित किया।**

1.6. वर्तमान मामले में वसीयत के उचित निष्पादन की तनकी के संबंध में विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वसीयत के निष्पादन से जुड़ी परिस्थितियों के संबंध में रिकॉर्ड पर उपलब्ध

साक्ष्य के गलत व्याख्या के आधार पर तय किया गया था। वसीयत में उल्लिखित संपत्ति निश्चित रूप से वसीयतकर्ता की पैतृक संपत्ति है। इस संपत्ति पर अपना स्वामित्व और कब्जा बरकरार रखने के लिए उन्हें अपने पति द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, वह अदालती लड़ाई के बाद ही अपने पति से भरण-पोषण के लिए राशि प्राप्त कर सकती थी, और उसके बाद भी उसे समय-समय पर उन राशि को प्राप्त करने के लिए अपीलकर्ता के साथ पत्राचार करना पड़ता था। अपीलकर्ता उसका सौतेला बेटा है जबकि प्रतिवादी उसके चचेरे भाई के बेटे हैं। वह निश्चित रूप से चाहेगी कि पति के साथ मुकदमे में उसके द्वारा सुरक्षित की गई उसकी पैतृक संपत्ति उसके सौतेले बेटे को न मिले, बल्कि वह उसके पक्ष के रिश्तेदारों के पास जाए। वसीयत की वैधता की जांच करते समय इस संदर्भ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। [पैरा 24] [597-ई-एच; 598-ए]

1.7 केवल इस आधार पर कि वसीयत 30 वर्ष से अधिक पुरानी थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 के तहत यह उपधारणा नहीं की जावेंगी कि दस्तावेज़ को उन व्यक्तियों द्वारा विधिवत निष्पादित और सत्यापित किया गया है जिनके द्वारा इसे निष्पादित और प्रमाणित किया गया माना जाता है। 30 साल पुराने दस्तावेजों के संबंध में की गई उपधारणा वसीयत पर लागू नहीं होती है। वसीयत को साक्ष्य अधिनियम

की धारा 68 के साथ पढ़े जाने वाले उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 (ग) के अनुसार साबित करना होगा। [पैरा 15] [587-सी-ई]

***भरपुर सिंह बनाम शमशेर सिंह* 2009 (3) एस.सी.सी. 687: 2008 (17) एस.सी. आर. 517- पर निर्भर किया।**

1.8. इस प्रकार, वादी/उत्तरदाताओं ने साबित किया है कि वसीयतकर्ता ने दिनांक 24.10.1943 को वादी के पक्ष में विधिवत वसीयत निष्पादित की थी, और मुकदमे की संपत्तियां उन्हें अंतरित कर दी थी। वसीयतकर्ता ने अगले ही दिन वसीयत रजिस्टर्ड करा ली। उच्च न्यायालय यह मानने में सही थे कि विचारण और अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष, हालांकि समवर्ती थे, कानून की दृष्टि से खराब और विकृत थे और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत थे। उत्तरदाताओं द्वारा दर्ज कराया गया वाद डिक्री किया जाता है। इसके द्वारा उन्हें मुकदमे की संपत्ति पर उनके स्वामित्व की घोषणा की जाती है, और प्रतिवादियों को उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा दी जाती है। यदि उनके कब्जे में किसी भी तरह से बाधा होती है, तो वे भविष्य में होने वाले लाभ के साथ संबंधित संपत्ति का कब्जा वापस पाने के हकदार होंगे। [पैरा 25] [598-बी-ई]

2. क्या कोई विशेष प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। शीर्षक

के दस्तावेज़ या दस्तावेज़ का निर्माण जो पार्टियों के अधिकारों की नींव है, आवश्यक रूप से कानून का प्रश्न उठाता है। वर्तमान मामले में, जब वसीयत का निष्पादन हुआ था और उसका निर्माण विचार का विषय था, तो कानून के प्रश्न के निर्धारण में गलती नहीं की जा सकती। तथ्य के सवाल पर भी दूसरी अपील पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि न्यायालय संतुष्ट हो कि निचली अदालतों के निष्कर्ष प्रासंगिक सबूतों पर विचार न करने या मामले और न्यायालय में दर्ज निष्कर्षों के प्रति गलत दृष्टिकोण दिखाने के कारण खराब हो गए थे और नीचे न्यायालय में दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं। [पैरा 14] [586-एफ-एच; 587-ए, बी-सी]

चुनीलाल मेहता बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी **ए.आई.आर 1962 एस.सी: 1962 सप. एस.सी.आर. 549 - अनुसरण किया गया।**

संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी **2001 (3) एस.सी.सी. 179: 2001 (1) एस. सी.आर. 948;** *भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन* **2012 (8) एस.सी.सी. 148: 2012 (8) एस. सी.आर. 35 - पर निर्भर किया गया।**

नारायणन राजेंद्रन बनाम लक्ष्मी सरोजनी **2009 (5) एस.सी.सी. 264: 2009 (2) एस.सी.आर. 71 - संदर्भित किया।**

संदर्भित कानूनी मामलें

2009 (2) SCR 71	**संदर्भित**	**पैरा 13**

1962 Suppl. SCR 549 followed पैरा 14

2001 (1) SCR 948 भरोसा किया पैरा 14

2012 (8) SCR 35 भरोसा किया पैरा 14

2008 (17) SCR 517 भरोसा किया पैरा 15

2002 (5) Suppl. SCR 175 संदर्भित पैरा 16

1959 Suppl. SCR 426 भरोसा किया पैरा 17

1977 (1) SCR 925 भरोसा किया पैरा 18

AIR 1961 Calcutta 359 संदर्भित पैरा 20

AIR 1958 Assam 56 संदर्भित पैरा 22

AIR 1949 Bombay 266 संदर्भित पैरा 23

1959 Suppl. SCR 426 भरोसा किया पैरा 24

1977 (1) SCR 925 भरोसा किया पैरा 24

2006 (1) SCC 546 भरोसा किया पैरा 24 सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1071/2006

कर्नाटक उच्च न्यायालय (पीठ बैंगलोर) के आर.एस.ए. संख्या 546/1996 मे पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.01.2004 से।

बसव प्रभु एस. पाटिल, बी. सुब्रमण्य प्रसाद, अनिरुद्ध सांगनेरिया अपीलार्थियों के लिए

आनंद संजय एम. नुली, एल.के. शर्मा, वी.एन. रघुपति उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय एच. एल. गोखले जे. इनके द्वारा पारित किया गया।

1. यह सिविल अपील यह सवाल उठाती है, कि क्या श्रीमती नागम्मन्नी की वसीयत को वैध रूप से निष्पादित किया गया था, और क्या इसे प्रतिवादी संख्या 01 और अन्य (मूल वादी) द्वारा विधिवत साबित किया गया था। इस अपील में एक और जुड़ा मुद्दा उठाया गया है कि क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में उच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूसरी अपील में विचारण न्यायालय और निचली अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना सही था।

इस सिविल अपील के तथ्य इस प्रकार हैं:-

2. प्रतिवादी संख्या 01 और 02, मूल वादी श्रीमती नागम्मन्नी के चचेरे भाई के बेटे हैं। जिनकी मृत्यु 21.11.1970 को हुई। उनका दावा है कि वह अपने पीछे दिनांक 24.10.1943 को निष्पादित एक वसीयत छोड़ गईं और दिनांक 25.10.1943 को मैसूर में उप-रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत

हुईं। मूल वादी ने दावा किया कि उक्त वसीयत के माध्यम से उसने अपनी संपत्ति उनके पक्ष में कर दी है। वसीयत में उल्लिखित संपत्ति उनकी पैतृक संपत्ति है। स्वर्गीय श्रीमती नागम्मन्नी की संपत्ति में से मल्लीनाथपुरम गांव में स्थित सूखी भूमि के 11 टूकडें और कग्गल्ली गांव में स्थित गीली भूमि के 02 टूकडें शामिल थे। दोनों कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले के तालुक मल्लावल्ली में थे। सूखी भूमि के 11 टूकडों में से टूकडा क्रमांक 2, 5 और 10 (वाद में संदर्भित सूची अनुसार) वसीयत में शामिल नहीं थे।

3. यह मूल वादीगण का मामला था कि भूमि के इन टुकड़ों पर उनका कब्जा था, और उनके कब्जे को यहां अपीलकर्ता (मूल प्रतिवादी संख्या 1 और अन्य) द्वारा परेशान करने की मांग की गई थी। श्रीमती नागम्मन्नी सी. बसवराजे उर्स की विधवा हैं, जबकि अपीलकर्ता सी. बसवराजे उर्स की दूसरी पत्नी का बेटा है। श्रीमती नागम्मन्नी की मृत्यु के बाद, वादीगण और प्रतिवादीगण ने संबंधित भूमि के मालिकों के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने के लिए आवेदन किया। हालाँकि, म्यूटेशन रजिस्ट्रार ने प्रतिवादियों के पक्ष में दिनांक 29.3.1971 को एक आदेश पारित किया। वादीगण ने इसके विरुद्ध सहायक आयुक्त मांड्या के समक्ष अपील दायर की। हालाँकि, जब उन्होंने पाया कि उक्त आदेश का लाभ उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 मुकदमे की संपत्तियों पर उनके कब्जे को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, तो उन्हें वसीयत के आधार पर

प्रकरण दायर करने की आवश्यकता थी, जिसे उन्होंने प्रिंसिपल सिविल न्यायालय, मांड्या में दायर किया जिसे 1975 के सूट संख्या 32 के रूप में क्रमांकित किया गया था। उन्होंने मुकदमे की संपत्ति पर अपने स्वामित्व की घोषणा करने और प्रतिवादियों को उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की और वैकल्पिक रूप से, उन्होंने प्रार्थना की कि यदि यह माना जाता है कि उनका कब्जा नहीं था, तो भविष्य में होने वाले लाभ के साथ संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए एक डिक्री दी जाए।

4. प्रतिवादीगण, यहां अपीलकर्ता, ने यह तर्क देते हुए प्रकरण लड़ा था कि श्रीमती नागम्मन्नी मुकदमे की संपत्ति की मालिक नहीं थी और किसी भी मामले में उत्तरदाताओं द्वारा जिस वसीयत पर भरोसा किया गया था वह वैध नहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि श्रीमती नागम्मन्नी के रिश्तेदार और अपीलकर्ता सौहार्दपूर्ण थे और दावा किया गया वसीयत रद्द कर दी गई होगी, जिसे प्रतिवादियों द्वारा छुपाया जा रहा था।

5. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने सभी दस मुद्दों को उठाया। इनमें से पहला मुद्दा यह था कि क्या वादी ने यह साबित किया कि वाद की संपत्ति सही मायने में श्रीमती नागम्मन्नी की थी और विद्वान न्यायाधीश ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया। इस निष्कर्ष को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी नहीं बदला गया, न ही वर्तमान सिविल अपील में भी

गंभीरता से चुनौती दी गई है। विचारण न्यायाधीश द्वारा तय किया गया दूसरा मुद्दा जो महत्वपूर्ण है, अर्थात् क्या वादी यह साबित करते हैं कि श्रीमती नागम्मन्नी ने वादीगण के पक्ष में दिनांक 24.10.1943 को एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की और वाद की संपत्तियों को उन्हें वसीयत कर दी।

6. वादी संख्या 01 (पीडब्लू-01) ने अपने मामले के समर्थन में खुद को परीक्षित कराया आैर समर्थन में तीन और गवाहों को परीक्षित कराया, जिनमें से दूसरा गवाह पी. बसवराजे उर्स (पीडब्लू-02) सबसे अधिक प्रासंगिक है। प्रतिवादियों ने तीन गवाहों को परीक्षित कराया, हालांकि उनके सबूतों से कुछ खास पता नहीं चला। दोनों पक्षों द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई, जिन पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचार किया गया है। उत्तरदाता संख्या 01/वादी ने श्रीमती नागम्मन्नी द्वारा वसीयत (प्रदर्श पी-03) में दो अलग-अलग स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों की पहचान की। उन हस्ताक्षरों को पी-03 (ए) तथा पी-03 (डी) के रूप में चिह्नित किया गया था। उनसे जिरह करते समय, अपीलकर्ता ने श्रीमती नागम्मन्नी द्वारा लिखे गए दो अंतर्देशीय पत्र प्रस्तुत किए आैर दावा किया कि उनके संबंध सौहार्दपूर्ण हो गए थे, लेकिन यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसमें उन्होंने अपीलकर्ता से अपनी भरण-पोषण राशि का दावा किया था। उत्तरदाता संख्या 01 ने उन दो पत्रों पर श्रीमती नागम्मन्नी के हस्ताक्षरों की पहचान की जिन्हें प्रदर्श डी-04 तथा डी-05 के रूप में चिह्नित किया

गया था। ये हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से वसीयत पर उसके हस्ताक्षरों से तुलनीय थे। इसे विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि "हस्ताक्षरों की तुलना करने पर मुझे लगता है कि इस विवाद में कुछ दम है। हस्ताक्षरों मिलते है।" विचारण न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को न तो प्रथम अपीलीय न्यायालय ने और ना ही उच्च न्यायालय द्वारा बदला गया।

7. उत्तरदाता संख्या 01/वादी की ओर से अगला गवाह पी. बसवराजे उर्स (पीडब्लू-02) था। वह प्रासंगिक समय में मांड्या जिले के मल्लीनाथपुरम गांव में पटेल (ग्राम अधिकारी) के रूप में कार्यरत था। वह वसीयत का प्रमाणित गवाह है। उन्होंने अपने हस्ताक्षर वाली राजस्व भूमि की रसीदें प्रस्तुत कीं, जिन्हें प्रदर्श पी 07 से पी 14 तथा पी 19 के रूप में चिह्नित किया गया था। उन्होंने प्रदर्श पी 07 से पी 14 तथा पी 19 पर अपने हस्ताक्षरों के साथ तुलना करके वसीयत पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर को साबित किया। उन्होंने अपनी जिरह में कहा कि, उनके अलावा दो अन्य व्यक्ति वसीयत के प्रमाणित गवाह थे, जो एम. मल्लाराजे उर्स और संपत अयंगर। हालाँकि, नवंबर 1978 में जब उनकी गवाही दर्ज की जा रही थी, तब तक उन दोनों प्रमाणित गवाहों की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि वह एम. मल्लाराजे उर्स की लिखावट और हस्ताक्षर की पहचान कर सकते हैं। वसीयत पर एम. मल्लाराजे उर्स के हस्ताक्षर प्रदर्श पी 03 (एच) के रूप में चिह्नित थे। उन्होंने वसीयत पर श्रीमती नागम्मन्नी के हस्ताक्षरों की

भी पहचान की जो पी 03 (ए) और पी 03 (डी) है। उन्होंने कहा कि श्रीमती नागम्मन्नी ने उनकी उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने भी श्रीमती नागम्मन्नी की उपस्थिति में उस पर हस्ताक्षर किए। पीडब्लू-01 और पीडब्लू-02 के साक्ष्य का यह भाग अखण्डित रहा है। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि श्रीमती नागम्मन्नी ने वसीयत (प्रदर्श पी 03) निष्पादित की है, जिस पर पीडब्लू-02 पी. बसवराजे उर्स और एक एम. मल्लाराजे उर्स के हस्ताक्षर भी हैं।

8. अपीलकर्ताओं ने विभिन्न परिस्थितियों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करके वसीयत की वैधता पर विवाद करने का प्रयास किया। उन्होंने वसीयत पर हस्ताक्षर करने के समय पी. बसवराजे उर्स की उपस्थिति पर विवाद करते हुए उनसे सवाल पूछा कि वह उस दिन मल्लिनाथपुरम से मैसूर कब आए और उन्होंने उस तारीख को क्या किया। विद्वान विचारण न्यायाधीश, साथ ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के न्यायाधीश, उनके बयान में दिखाई देने वाली कुछ विसंगतियों, जिन्हें अपीलकर्ता द्वारा उजागर किया गया था से प्रभावित हुए। हालाँकि, तथ्य यह है कि पीडब्लू-02 वसीयत के निष्पादन के लगभग 35 साल बाद अपनी गवाही दे रहा था, और इसलिए उसके साक्ष्य में ऐसी विसंगतियों को अधिक विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती है। अपीलकर्ता की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तरदाताओं/वादीगण को वसीयत का पता कैसे और कब चला। इसके अलावा, इस तथ्य पर अधिक

जोर दिया गया कि श्रीमती नागम्मन्नी द्वारा वसीयत कब की गई थी। वह तब लगभग 40 वर्ष की थी, और वसीयत में खुद को वृद्ध और अशक्त बताती थी। यह भी तर्क दिया गया कि यह आश्चर्य की बात है कि यद्यपि वसीयत लगभग 35 साल पहले की गई थी, लेकिन उत्तरदाताओं/वादी को श्रीमती नागम्मन्नी की मृत्यु तक वसीयत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जहां तक वसीयत के लेखन का सवाल है, यह इंगित करके कुछ संदेह उठाए गए थे कि लेखन इतना निरंतर नहीं था, और उस पर हस्ताक्षर समायोजित किए गए प्रतीत होते थे। पीडब्लू-02 के साक्ष्यों पर भी यह तर्क देकर हमला करने की कोशिश की गई कि वह एक इच्छुक गवाह था। इस उद्देश्य के लिए, यह इंगित किया गया था कि पहले के एक मुकदमे में जो श्रीमती नागम्मन्नी की संपत्ति के बंधक से उत्पन्न हुआ था में उन्होंने उस स्थान के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की थी जहां वसीयत लिखी गई थी या उस समय जो लोग मौजूद थे।

9. जहां तक इस आपत्ति का संबंध है, यह कहा जाना चाहिए और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पहले के मुकदमे में, पीडब्लू-02 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह वसीयत का गवाह था। इसी तरह, श्रीमती नागम्मन्नी ने खुद को बुजुर्ग बताते हुए कहा था कि उन्होंने जो कहा था वह यह था कि वह बूढ़ी हो रही हैं। किसी व्यक्ति का ऐसा बयान हमेशा उसके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में चिंतित व्यक्ति की धारणा पर निर्भर करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि, अपने पति के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों

को देखते हुए, वह चाहती थी कि उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे, और ऐसा प्रावधान करना चाहती थी कि यह संपत्ति उसके रिश्तेदारों को मिले। यह और बात है कि इसके बाद वह लंबे समय तक जीवित रही। इसी तरह, प्रतिवादी संख्या 01 की इस दलील में भी कोई दम नहीं है कि उसके श्रीमती नागम्मन्नी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण हो गये थे और उन्होंने वसीयत रद्द कर दी होगी। यदि ऐसा होता, तो वह निश्चित रूप से निरस्तीकरण का ऐसा दस्तावेज़ प्रस्तुत करता। इसी तरह, वसीयत के निष्पादन के लगभग 35 साल बाद तक उत्पादन और उस पर निर्भरता से कोई मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है। श्रीमती नागम्मन्नी के वसीयत पर हस्ताक्षर हैं के बारे में कोई विवाद नहीं है और उनकी इच्छाएं स्पष्ट हैं। ऐसा केवल तब होता है जब वसीयत के तहत वसीयत की गई संपत्तियों की रक्षा करनी होती है, तभी वसीयत तैयार करने और उस पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है। किसी वसीयत पर कार्रवाई करने की आवश्यकता तभी होती है जब वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है, और इस मामले में भी जब अवसर आया, वसीयत को पेश कर भरोसा किया गया। इन परिस्थितियों में, हमें इनमें से किसी भी आपत्ति में अधिक बल नहीं दिखता।

10. पीडब्लू-02 के साक्ष्य में इन विसंगतियों के विरुद्ध, उत्तरदाता संख्या 01/वादी की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि श्रीमती नागम्मन्नी के पति सी. बसवराजे उर्स ने पहले उनके खिलाफ एक प्रकरण

दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने इन संपत्तियों को अपनी संपत्ति होने का दावा किया था और वह प्रकरण खारिज कर दिया गया था, जिसकी पुष्टि अपील में की गई थी। यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता सी. बसवराजे उर्स की दूसरी पत्नी का बेटा था, और उसे श्रीमती नागम्मन्नी को भरण-पोषण देना था, जैसा कि न्यायालय के आदेश के अनुसार आवश्यक था। वादी द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि वसीयत एक दस्तावेज था जो 30 वर्ष से अधिक पुराना था, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत, न्यायालय से यह उपधारणा की अपेक्षा की जाती है कि दस्तावेज़ के प्रत्येक भाग में हस्ताक्षर संबंधित व्यक्ति की लिखावट में है, और यह कि दस्तावेज़ विधिवत निष्पादित किया गया था।

11. विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्को को स्वीकार कर माना कि वादी वसीयत साबित करने में विफल रहे क्योंकि यह पीडब्लू-02 के साक्ष्य में नहीं आया था कि श्रीमती नागम्मन्नी ने दूसरे गवाह एम. मल्लाराजे उर्स की उपस्थिति में वसीयत निष्पादित की थी, या एम. मल्लाराजे उर्स ने भी उनकी उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (संक्षेप में 'उत्तराधिकार अधिनियम') की धारा 63 (ग) की आवश्यकता पूरी नहीं हुई जो कि दो या दो से अधिक गवाहों को वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते हुए देखना होगा या वसीयत पर अपना चिह्न लगाना होगा, और प्रत्येक गवाह को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर भी करना होगा।

इसलिए, न्यायालय ने तनकी संख्या 02 का निर्णय वादी के विरुद्ध दिया और वाद को खारिज कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी 1989 की नियमित अपील संख्या 30 में यही दृष्टिकोण अपनाया और उत्तरदाताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

12. इसके बाद उत्तरदाता/वादी ने 1996 की आर.एस.ए. संख्या 546 दूसरी अपील के रूप में दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने कानून के प्रश्न को निम्नलिखित शब्दों में तैयार कियाः-

> "क्या अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष कि वादी ने वसीयत को साबित नहीं किया है, कानून में गलत है और उस संबंध में निष्कर्ष विकृत और रिकॉर्ड पर सबूत के विपरीत है?"

विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 23.1.2004 द्वारा उत्तरदाताओं/मूल वादी के पक्ष में कानून के उक्त प्रश्न का फैसला किया, जिसके कारण विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील की गई। जब दिनांक 11.10.2004 को विशेष अनुमति याचिका विचार के लिए आई, तो इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि उस समय की यथास्थिति बरकरार रखी जाए। उसके बाद दिनांक 06.02.2006 को अपील की अनुमति दी गई। विवाद को

मध्यस्थता का हवाला देकर सुलझाने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ।

प्रतिद्वंद्वी दलों की दलीलों पर विचारः

13. अपीलकर्ता की ओर से पहली दलील यह है कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने जिस तरीके से कानून का प्रश्न तैयार किया है, उसमें गलती हुई है। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वसीयत की अमान्यता के बारे में एक समवर्ती निष्कर्ष दिया है, तो यह तथ्य की खोज थी, और उच्च न्यायालय कानून का यह प्रश्न बनाकर कि कि क्या निष्कर्ष कानून की दृष्टि से ख़राब था, और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के विपरीत या विकृत था, तथ्य की खोज में बाधा नहीं डाल सकता था। इस संबंध में, *नारायणन राजेंद्रन बनाम लक्ष्मी सरोजिनी* 2009 (5) एस.सी.सी. 264 में रिपोर्ट, में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि किसी भी मामले में, नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्षों को किसी भी तरह से विकृत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत नहीं थे।

14. हालाँकि, हम इस संबंध में यह उल्लेख कर सकते हैं, कि जैसा कि *चुन्नीलाल मेहता बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी* ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 1314 में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने

कहा था, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि शीर्षक के दस्तावेज़ या दस्तावेज़ का निर्माण जो पार्टियों के अधिकारों की नींव है, आवश्यक रूप से कानून का प्रश्न उठाता है। इसके अलावा, जैसा कि *संतोष हजारी बनाम पुरूषोत्तम तिवारी* 2001 (3) एस.सी.सी. 179 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था, कि कोई विशेष प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब श्रीमती नागम्मन्नी की वसीयत का निष्पादन हुआ और उसका निर्माण विचार का विषय था, कानून के प्रश्न के निर्धारण में गलती नहीं की जा सकती। हाल ही में, *भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन* 2012 (8) एस.सी.सी. 148 में इस न्यायालय ने इस संबंध में पिछले विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया और निम्नलिखित शब्दों में कानूनh स्थिति स्पष्ट कीः-

> "67. तथ्य के सवाल पर भी दूसरी अपील पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि न्यायालय संतुष्ट हो कि निचली अदालतों के निष्कर्ष प्रासंगिक सबूतों पर विचार न करने या मामले और न्यायालय में दर्ज निष्कर्षों के प्रति गलत दृष्टिकोण दिखाने के कारण खराब हो गए थे और नीचे न्यायालय में दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं।"

15. साथ ही हम उत्तरदाताआेंं की ओर से दी गई इस दलील को भी स्वीकार नहीं कर सकते, कि केवल इसलिए कि वसीयत 30 वर्ष से

अधिक पुरानी थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') की धारा 90 के तहत यह उपधारणा नहीं की जावेंगी कि दस्तावेज़ को उन व्यक्तियों द्वारा विधिवत निष्पादित और सत्यापित किया गया है जिनके द्वारा इसे निष्पादित और प्रमाणित किया गया माना जाता है। जैसा कि इस न्यायालय ने *भरपुर सिंह बनाम शमशेर सिंह* 2009 (3) एस.सी.सी. 687 में कहा था, कि 30 साल पुराने दस्तावेजों के संबंध में की गई उपधारणा वसीयत पर लागू नहीं होती है। वसीयत को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के साथ पढ़े जाने वाले उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 (ग) के अनुसार साबित करना होगा ।

16. यह हमें वर्तमान मामले में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दे पर ले जाता है, जो कि संबंधित वसीयत की वैधता और साबित करने के संबंध में कि एक वसीयत को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार आवश्यक तरीके से निष्पादित किया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार वसीयत को कम से कम एक प्रमाणित गवाह को परीक्षित करा के साबित किया जाना आवश्यक है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 एक और जुड़ी हुई धारा है "जो अनुमेय है और एक सक्षम धारा है जो किसी पक्ष को कुछ परिस्थितियों में अन्य सबूत पेश करने की अनुमति देती है", जैसा कि इस न्यायालय ने *जानकी नारायण भोईर बनाम नारायण नामदेव कदम* 2003 (2) एससीसी 91 के पैराग्राफ 11 में अवलाेकन किया और एक तरह से धारा 68 के अनिवार्य प्रावधान की

कठोरता को कम कर दिया। जैसा कि उस निर्णय में कहा गया है, धारा 71 उस पक्ष को सहायता देने और बचाव के लिए है जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, लेकिन अन्यथा उसे निराश किया जाएगा यदि अन्य सबूतों द्वारा उचित निष्पादन को साबित करने के अन्य तरीकों की अनुमति नहीं दी। साथ ही, जैसा कि उसी फैसले में कहा गया है, इस धारा को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के साथ पढ़े जाने वाले उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत एक गवाह को साक्ष्य में पेश करने के दायित्व से किसी पक्ष को मुक्त करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है, भले ही वह जीवित और उपलब्ध हो। इन तीन अनुभागों के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

"उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 विशेषाधिकार रहित वसीयत का निष्पादन - प्रत्येक वसीयतकर्ता, जो किसी अभियान में नियोजित सैनिक नहीं है या वास्तविक युद्ध में लगा हुआ नहीं है, या इस प्रकार नियोजित या संलग्न वायुसैनिक नहीं है, या समुद्र में नाविक नहीं है, अपनी इच्छा पूरी करेगा। निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा:-

(क) .....

(ख) .....

(ग) वसीयत दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते देखा

है या वसीयत पर अपना निशान लगाया है या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देश पर वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा है, या वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिह्न, या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत पावती प्राप्त की है; और प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि एक ही समय में एक से अधिक गवाह उपस्थित हों, और सत्यापन का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं होगा।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 68

"68. कानून द्वारा सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेज़ के निष्पादन का प्रमाण- यदि किसी दस्तावेज़ को सत्यापित करने के लिए कानून की आवश्यकता है, तो इसे साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित गवाह को नहीं बुलाया गया हो। इसके निष्पादन को साबित करने का उद्देश्य, यदि कोई प्रमाणित गवाह जीवित है, और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है और साक्ष्य देने में सक्षम है..."

साक्ष्य अधिनियम की धारा 71

"71. साक्ष्य जब साक्ष्यांकित गवाह निष्पादन से इनकार करता है - यदि साक्ष्यांकित गवाह दस्तावेज़ के निष्पादन से

इनकार करता है या याद नहीं रखता है, तो इसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है।"

17. वर्तमान मामले में, इसमें कोई विवाद नहीं है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की आवश्यकता पूरी हो गई है, क्योंकि एक प्रमाणित गवाह यानी पीडब्लू-02 को वसीयत के निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से बुलाया गया था, और उसने प्रभावी गवाही दी है। हालाँकि, सवाल यह उठता है कि क्या वसीयत को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 (ग) के अनुसार, कानून द्वारा आवश्यक तरीके से निष्पादित किया गया कहा जा सकता है। पीडब्लू-02 ने कहा है कि उसने श्रीमती नागम्मन्नी की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं और श्रीमती नागम्मन्नी ने भी उसकी उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं। हालाँकि यह तर्क दिया गया है कि उनकी साक्ष्य इस मुद्दे पर मौन हैं कि क्या श्रीमती नागम्मन्नी ने एम. मल्लाराजे उर्स की उपस्थिति में वसीयत निष्पादित की, और क्या एम. मल्लाराजे उर्स ने भी श्रीमती नागम्मन्नी की उपस्थिति में गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 (ग) एक वैध और लागू करने योग्य वसीयत की आवश्यकता को बताती है कि इसे दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या अपना निशान लगाते हुए देखा है, और प्रत्येक गवाहों ने वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि इस न्यायालय के

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने (गजेंद्रगडकर जे. के अनुसार,) आर. वेंकटचला अयंगर बनाम बी.एन. थिम्माजम्मा ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 443 में कहा था कि वसीयत को किसी भी अन्य दस्तावेज की तरह ही साबित करना होगा, सिवाय इसके कि वसीयत के सबूत में दिए गए साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अलावा उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 की आवश्यकता को भी पूरा करना चाहिए।

18. *वेंकटचला अयंगर* (सुप्रा) में दिए गए प्रस्तावों का पालन *श्रीमती जसवन्त कौर बनाम श्रीमती अमृत कौर* ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 74 में किया गया है और तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में समझाया गया है। जिसमें कानून को वाई.वी. चंद्रचूड़ जे. (जैसा कि वह तब थे) द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों में स्पष्ट किया गया है: -

"10. वसीयत साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति और मानक पर निर्णय लेने की एक लंबी श्रृंखला है। आर वेंकटचला अयंगर बनाम बी.एन. थिरनमजम्मा और अन्य [1959] सु.

1 एस.सी.आर. 426 में इस न्यायालय के एक विस्तृत फैसले में उन निर्णयों की समीक्षा की गई है। गजेंद्रगडकर जे. के माध्यम से बोलते हुए न्यायालय ने उस मामले में निम्नलिखित प्रस्ताव रखे:-

1. आम तौर पर कहा गया है, किसी भी अन्य दस्तावेज़ की तरह वसीयत को भी साबित करना होगा, लागू किया जाने वाला परीक्षण ऐसे

मामलों में विवेकपूर्ण दिमाग की संतुष्टि का सामान्य परीक्षण है। जैसा कि अन्य दस्तावेजों के प्रमाण के मामले में होता है, वैसे ही वसीयत के प्रमाण के मामले में भी कोई गणितीय निश्चितता के साथ प्रमाण पर जोर नहीं दे सकता है।

2. चूंकि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 में वसीयत को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे साक्ष्य के रूप में तब तक उपयोग नहीं किया जा सकता है, जब तक कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 की आवश्यकता के अनुसार, इसके कार्यान्वयन को साबित करने के उद्देश्य से कम से कम एक प्रमाणित गवाह को नहीं बुलाया गया हो। यदि कोई साक्ष्य देने वाला गवाह जीवित है और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है और साक्ष्य देने में सक्षम है।

3. अन्य दस्तावेजों के विपरीत, वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के बारे में बताती है और इसलिए वसीयत बनाने वाला कभी भी उन परिस्थितियों के बारे में गवाही देने के लिए उपलब्ध नहीं होता है जिनमें वसीयत निष्पादित की गई थी। यह पहलू इस प्रश्न के निर्णय में गंभीरता का एक तत्व प्रस्तुत करता है कि क्या प्रस्तावित दस्तावेज़ वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा साबित होता है। आम तौर पर, प्रस्तावक पर जो दायित्व होता है, उसे वसीयत बनाने में लगने वाले आवश्यक तथ्यों के प्रमाण पर मुक्त माना जा सकता है।

4. ऐसे मामले जिनमें वसीयत का निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा होता है, अलग स्तर पर खड़े होते हैं। अस्थिर हस्ताक्षर, कमजोर दिमाग, संपत्ति का अनुचित और अन्यायपूर्ण स्वभाव, प्रस्तावक का स्वयं वसीयत बनाने में अग्रणी भूमिका निभाना जिसके तहत उसे पर्याप्त लाभ मिलता है और ऐसी अन्य परिस्थितियाँ वसीयत के निष्पादन के बारे में संदेह पैदा करती हैं। उस संदेह को केवल प्रस्तावक के इस दावे से दूर नहीं किया जा सकता है कि वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर हैं या वसीयत करने के समय वसीयतकर्ता स्वस्थ और मानसिक और स्मृति की अच्छी स्थिति में था, या कि जैसे लोग वसीयतकर्ता की पत्नी और बच्चे, जो आम तौर पर उसकी संपत्ति में अपना उचित हिस्सा प्राप्त करते थे, उन्हें विरासत से वंचित कर दिया गया क्योंकि वसीयतकर्ता के पास उन्हें बाहर करने के अपने स्वयं के कारण हो सकते हैं। संदिग्ध परिस्थितियों की उपस्थिति प्रारंभिक जिम्मेदारी को भारी बना देती है और इसलिए, ऐसे मामलों में जहां वसीयत के निष्पादन से जुड़ी परिस्थितियां न्यायालय के संदेह को उत्तेजित करती हैं, प्रस्तावक को दस्तावेज़ को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले सभी वैध संदेहों को दूर करना होगा।

5. वसीयत के संबंध में, जिसका निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ है, न्यायिक विवेक की संतुष्टि का परीक्षण विकसित किया गया है। वह परीक्षण इस बात पर जोर देता है कि इस प्रश्न का निर्धारण करने

में कि क्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है, न्यायालय को एक गंभीर प्रश्न तय करने के लिए कहा जाता है और संदिग्ध परिस्थितियों के कारण न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट होना होगा कि वसीयत वसीयतकर्ता द्वारा वैध रूप से निष्पादित की गई है।

6. यदि कोई कैविएटर वसीयत के निष्पादन के संबंध में धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती आदि का आरोप लगाता है, तो ऐसी दलीलों को उसे साबित करना होगा, लेकिन ऐसी दलीलों के अभाव में भी, वसीयत के निष्पादन के आसपास की परिस्थितियाँ यह संदेह उत्पन्न कर सकती है कि क्या वसीयतकर्ता अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य कर रहा था और फिर यह मामले में सभी उचित संदेहों को दूर करने के प्रस्तावक के प्रारंभिक दायित्व का एक हिस्सा है।

19. *जानकी नारायण भोईर* (सुप्रा) में इस न्यायालय ने उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (ग) और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 और 71 के बीच अंतर-संबंध की व्याख्या की है। उस मामले में वसीयत को साबित करने के लिए केवल एक गवाह को वसीयत के गवाह के रूप में परीक्षित कराया गया, लेकिन उसने अपने बयान में यह नहीं बताया था कि अन्य प्रमाणित गवाह ने उनकी उपस्थिति में वसीयत को प्रमाणित किया था। अन्य प्रमाणित गवाह, यद्यपि जीवित और उपलब्ध

था, उससे पूछताछ नहीं की गई। न्यायालय ने फैसले के पैरा 05 में प्रासंगिक तथ्यों को इस प्रकार नोट किया (जैसा कि एस.सी.सी. में रिपोर्ट किया गया है):

> "सत्यापित करने वाले गवाह प्रभाकर सिंकर ने अपने बयान में कहा कि उन्हें नहीं पता कि अन्य गवाह रामकृष्ण वागले वसीयत के निष्पादन के समय प्रतिवादी के घर में मौजूद थे या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह याद नहीं है कि जब उन्होंने हस्ताक्षर किये तो वह और रायकर उपस्थित थे या नहीं। उन्होंने उस समय गवाह वागले को नहीं देखा था; उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान नहीं की जिसने वसीयत पर अंगूठे का निशान लगाया था। मुंशी रायकर ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसने वसीयत लिखी है और उसने यह भी कहा कि उसने वसीयतनामा पर एक मुंशी के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि साक्ष्य देने वाले गवाह, वागले और प्रभाकर सिंकर जीवित हैं।"

इस पृष्ठभूमि पर, न्यायालय ने फैसले के पैरा 6 के अंत में कहा कि "यह सच है कि हालांकि एक वसीयत को दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है, लेकिन इसे धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाणित गवाहों में से एक को परीक्षित करा के साबित किया जा

सकता है", लेकिन पैराग्राफ 9 में यह भी उल्लेख किया गया है कि "वसीयत के उचित निष्पादन की आवश्यकताओं में से एक दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा इसका सत्यापन, जो अनिवार्य है।" फैसले के पैराग्राफ 11 और 12 में, न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 की प्रासंगिकता को यह कहते हुए नोट किया कि "धारा 71 की सहायता केवल तभी ली जा सकती है जब प्रमाणित करने वाले गवाह जिन्हें बुलाया गया है, वे निष्पादन से इनकार करते हैं या याद करने में विफल रहते हैं।"" धारा 71 तब लागू नहीं होती जब प्रमाणित करने वाला एक गवाह, जिसे अकेले बुलाया गया है, वसीयत के निष्पादन को साबित करने में विफल रहा है और अन्य प्रमाणित गवाह, हालांकि उपलब्ध है, की जांच नहीं की गई है।" इसलिए, मामले के तथ्यों में, न्यायालय ने माना कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वसीयत का सत्यापन स्थापित नहीं किया गया था जो समान रूप से आवश्यक था।

20. वर्तमान मामले में, हम ध्यान दे सकते हैं कि अपनी जिरह के पैरा 21 में, पी. बसवराजे उर्स ने कहा है, "श्रीमान मल्लाराजे उर्स और श्रीमती नागम्मन्नी, वह ओर एक संपत अयंगर वसीयत लिखते समय मौजूद थे। एक श्री नारायणमूर्ति भी उपस्थित थे। पैरा 22 में उन्होंने कहा है कि नारायणमूर्ति ने प्रदर्श 03 (वसीयत) को लगातार अपनी लिखावट में लिखा था। तथ्य यह है कि वसीयत के निष्पादन के समय एम. मल्लाराजे उर्स मौजूद थे, प्रतिवादियों द्वारा पीडब्लू-02 के समक्ष यह कहकर चुनौती नहीं

दी गई है कि वसीयत के निष्पादन के समय एम. मल्लाराजे उर्स मौजूद नहीं थे। जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने वसीयत से संबंधित एक मामले में *ए.ई.जी. कैरापिएट बनाम ए.वाई. डर्डेरियन* [एआईआर 1961 कलकत्ता 359] के पैरा 10 में कहा था..."जहां भी प्रतिद्वंद्वी ने अपने आवश्यक और भौतिक मामले को जिरह में रखने के अवसर का लाभ उठाने से इनकार कर दिया है, इसका मतलब यह होना चाहिए कि उसका मानना है कि दी गई गवाही बिल्कुल विवादित नहीं हो सकती है। यह आवश्यक न्याय का नियम है"। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वसीयत दिनांक 24.10.1943 को मैसूर स्थित वकील श्री सुभा राव के कार्यालय में निष्पादित की गई थी, और अगले ही दिन मैसूर में पंजीकृत की गई थी। यह तथ्य कि वसीयत पर श्रीमती नागम्मन्नी ने दिनांक 24.10.1943 को पीडब्लू-02 की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे साबित कर दिया गया है आैर यह भी साबित है कि पीडब्लू-02 ने उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे। क्या श्रीमती नागम्मन्नी द्वारा एम. मल्लाराजे उर्स की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किये जा सकते हैं और उनकी उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर किये गये को रिकॉर्ड पर उपरोक्त तथ्यों से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? हमारे विचार में, वर्तमान मामले के तथ्यों में, पीडब्लू-02 की ओर से विशेष रूप से यह बताने में चूक हुई कि वसीयत पर एम. मल्लाराजे उर्स के हस्ताक्षर (जिसकी उन्होंने पहचान की) श्रीमती नागम्मानी की उपस्थिति में किए गए थे और उनके

हस्ताक्षर (जो उन्होंने पहचाने थे) भी एम. मल्लाराजे उर्स की उपस्थिति में किये गए थे, इसे उसी के बारे में याद न करने का एक पहलू कहा जा सकता है। इस कमी को रिकॉर्ड पर रखे गए संबंधित परिस्थितियों के अन्य साक्ष्यों को देखकर पूरा किया जा सकता है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 के तहत स्वीकार्य है।

21. वर्तमान मामले में वसीयत की वैधता के मुद्दे पर इन तथ्यों के संदर्भ में विचार करना होगा। यह सच है कि मौजूदा मामले में पीडब्लू-02 द्वारा कोई विशेष बयान नहीं दिया गया है कि उसने अन्य गवाह को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा था, लेकिन उसने कहा है कि अन्य गवाह ने भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे। पीडब्लू-02 ने अपने हस्ताक्षर साबित कर दिए हैं, और इसके शीर्ष पर पीडब्लू-02 ने जिरह में यह भी कहा है कि अन्य गवाह (श्री मल्लराजे उर्स), श्रीमती नागम्मन्नी दिनांक 24.10.1943 को वसीयत लिखते समय, स्वयं और एक संपत अयंगर और वसीयत के लेखक सभी उपस्थित थे, जिसे अगले ही दिन पंजीकृत किया गया था। निहितार्थ और अनुमान द्वारा इस कथन को अन्य गवाह द्वारा आवश्यक सत्यापन साबित करने के रूप में माना जाएगा। यह बयान, रिकॉर्ड पर रखी गई परिस्थितियों के साथ, निश्चित रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 द्वारा अनुमत अन्य सबूतों द्वारा वसीयत को साबित करने का गठन करेगा।

22. इस तरह के मामले में उचित निष्कर्ष निकालते समय, कोई न्यायालय रिकॉर्ड पर लाए गए संबंधित परिस्थितियों की साक्ष्य की उपेक्षा नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में, हम *महालक्ष्मी बैंक लिमिटेड बनाम कामख्यालाल गोयनका* [ए.आई.आर. 1958 असम 56] मामले में असम उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच की टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। जो एक बंधक विलेख के निष्पादन के आधार पर कुछ राशि के लिए अपीलकर्ता बैंक के दावे से संबंधित मामला था। अन्य दलीलों के साथ, उत्तरदाताओं द्वारा इसके निष्पादन पर यह तर्क देकर विवाद किया जा रहा था कि यह एक पर्दानशीन महिला द्वारा किया गया था, और यह गवाहों की उपस्थिति में नहीं किया गया था। हालाँकि वादी की साक्ष्य इतनी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन रिकॉर्ड पर साक्ष्य की समग्रता को देखते हुए, न्यायालय ने माना कि बंधक का निष्पादन विधिवत साबित हुआ था। उस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए, डिवीजन बेंच ने कहाः-

> "11.....इसलिए, वादी पर कानून के अनुसार इसके निष्पादन और सत्यापन को साबित करना अनिवार्य था। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जिन गवाहों को सत्यापन साबित करने की आवश्यकता है, उन्होंने (एसआईसी) स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि उन्होंने और अन्य प्रमाणित गवाहों ने निष्पादकों की उपस्थिति में (दस्तावेज़ के निष्पादन को देखने के बाद) अपने हस्ताक्षर किए हैं। फिर

भी, यह तथ्य कि उन्होंने वास्तव में ऐसा किया था, सबूतों में बताई गई परिस्थितियों से आसानी से पता लगाया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेज़ का निष्पादन और पंजीकरण सभी प्रतिवादियों के घर में लगभग एक ही समय में हुआ। गवाहों ने न केवल निष्पादकों को दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर करते देखा, बल्कि उन्होंने पति और पंजीकरण अधिकारी द्वारा महिला को दस्तावेज़ के बारे में समझाते हुए भी देखा।

उन्होंने निष्पादकों को प्रतिफल की रसीद स्वीकार करते हुए भी देखा, जिसका भुगतान उनकी उपस्थिति में किया गया था। चूंकि यह सब एक ही समय में हुआ, इसलिए यह वैध रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि गवाहों ने भी निष्पादकों को दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करते देखने के बाद उनकी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए थे..... .....एेसा कोई सुझाव नहीं है कि एक ही बैठक में निष्पादन व पंजीकरण नहीं किया गया हो। वास्तव में, यहां निश्चित प्रमाण यह है कि निष्पादन व पंजीकरण एक ही समय में हुआ था। इसलिए, यह लगभग निश्चित है कि गवाहों ने निष्पादकों की उपस्थिति में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए होंगे.....”

23. वसीयत से संबंधित मामलों में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को *विष्णु रामकृष्ण बनाम नाथू विट्ठल* [ए.आई.आर. 1949 बॉम्बे 266] में बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पहली अपील पर दिए गए फैसले में स्पष्ट किया गया है। उस मामले में, प्रतिवादी नाथू वसीयत का लाभार्थी था। अपीलकर्ता ने वसीयतकर्ता गंगाबाई द्वारा नाथू के पक्ष में वसीयत की गई संपत्ति पर कब्जे का दावा करते हुए एक प्रकरण दायर किया। वसीयत के आधार पर मुकदमे का बचाव किया गया और इसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि वसीयत को विधिवत साबित माना गया था। अपील में यह प्रस्तुत किया गया कि मुकदमे को खारिज करना गलत था, क्योंकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत वसीयत को उस तरीके से निष्पादित किया जाना साबित नहीं हुआ, जिस तरह से होना आवश्यक है। उच्च न्यायालय का विचार था कि यदि कोई कमी थी, तो यह एक से अधिक गवाहों की जांच न करने के कारण थी, हालांकि वह इस बात से सहमत नहीं था कि वसीयतकर्ता गंगाबाई ने वसीयत निष्पादित नहीं की थी। न्यायालय ने आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के तहत अपनी शक्तियों के तहत मामले को अतिरिक्त साक्ष्य के लिए भेज दिया। फैसले के पैराग्राफ 15 में गजेंद्रगडकर जे. (क्योंकि वह तब बॉम्बे हाई कोर्ट में थे) के साथ डिवीजन बेंच में बैठे चागला सी.जे. की टिप्पणियाँ हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं-

"15..... हम एक वसीयत के मामले से निपट रहे हैं और हमें इस समस्या को अंतरात्मा की न्यायालय के रूप में देखना चाहिए। हमें इस बात से संतुष्ट होना है कि सामने रखा गया दस्तावेज़ गंगाबाई की आखिरी वसीयत और वसीयतनामा है या नहीं। यदि हम पाते हैं कि केवल कुछ तकनीकी कमी के कारण वसीयतकर्ता की इच्छाएं को पराजित या विफल होने की संभावना है, तो हम अंतरात्मा की न्यायालय के रूप में ऐसा होने की अनुमति नहीं देंगे। हमने दूसरे मुद्दे पर श्री धरप को नहीं सुना है; लेकिन यह मानते हुए कि गंगाबाई का दिमाग स्वस्थ और सुलझने वाला था और वह अपनी संपत्ति का निपटारा करना चाहती थी जैसा कि उसने वास्तव में किया है, केवल तथ्य यह है कि वसीयत के प्रस्तावक लापरवाह थे- और धारा 63 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करने में घोर लापरवाही की और वसीयत को वैसा साबित करना जैसा उन्हें करना चाहिए था, हमें स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया था या नहीं आवश्यक साक्ष्य मांगने से नहीं रोकना चाहिए....." (जोर दिया गया)

24. जैसा कि इस न्यायालय ने *आर. वेंकटचला अयंगर और श्रीमती जसवन्त कौर* (दोनों सुप्रा) मामले में भी कहा है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते

समय कि क्या वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया था, न्यायालय को परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक को संतुष्ट करना चाहिए। वसीयत से संबंधित मामलों में न्यायालय की भूमिका यह जांचने तक ही सीमित है कि क्या मृतक की अंतिम वसीयत के रूप में प्रस्तावित उपकरण वसीयतकर्ता द्वारा किया गया है या नहीं, और क्या यह स्वतंत्र और स्वस्थ निपटान दिमाग का उत्पाद है [जैसा कि इस कोर्ट ने *गुरदेव कौर बनाम काकी* 2006 (1) एस.सी.सी. 546 के पैरा 77 में अवलोकन किया]। वर्तमान मामले में, इन कारकों पर कोई विवाद नहीं है। वर्तमान मामले में उठाया गया मुद्दा वसीयत के उचित निष्पादन के संबंध में था, और हमने पाया कि इसका निर्णय विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी वसीयत के निष्पादन से जुड़ी परिस्थितियों के संबंध में रिकॉर्ड पर उनलब्ध साक्ष्य की गलत व्याख्या के आधार पर किया गया था। वसीयत में उल्लिखित संपत्ति निश्चित रूप से श्रीमती नागम्मन्नी की पैतृक संपत्ति है। इस संपत्ति पर अपना स्वामित्व और कब्जा बरकरार रखने के लिए उन्हें अपने पति द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, वह अदालती लड़ाई के बाद ही अपने पति से भरण-पोषण के लिए राशि प्राप्त कर सकती थी, और उसके बाद भी उन्हें समय-समय पर उन राशि को प्राप्त करने के लिए अपीलकर्ता के साथ पत्राचार करना पड़ता था। अपीलकर्ता उसका सौतेला बेटा है, जबकि प्रतिवादीगण उसके चचेरे भाई के बेटे हैं। वह निश्चित रूप

से चाहेगी कि पति के साथ मुकदमे में उसके द्वारा सुरक्षित की गई उसकी पैतृक संपत्ति उसके सौतेले बेटे को न मिले, बल्कि वह उसके पक्ष के रिश्तेदारों के पास जाए। वसीयत की वैधता की जांच करते समय हम इस संदर्भ को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

25. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति को देखते हुए, हम मानते हैं कि वादीगण/उत्तरदाताआें ने साबित कर दिया है कि श्रीमती नागम्मन्नी ने दिनांक 24.10.1943 को वादीगण के पक्ष में विधिवत वसीयत निष्पादित की थी, और मुकदमे की संपत्तियां उन्हें दे दी थीं। उन्होंने अगले ही दिन वसीयत रजिस्टर्ड करा ली। तनकी संख्या 02 पर विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत था। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश यह मानने में सही थे कि विचारण और अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष, हालांकि समवर्ती थे, कानून की दृष्टि से खराब और विकृत थे और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत थे। इसलिए, दूसरी अपील को उनके द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया था। तदनुसार, हम वर्तमान सिविल अपील को खारिज करते हैं। कर्नाटक के मांड्या में प्रधान सिविल न्यायाधीश की न्यायालय में उत्तरदाताओं द्वारा दायर 1975 का प्रकरण संख्या 32 को डिक्री किया जाता है। इसके द्वारा उन्हें वाद की संपत्ति पर उनके स्वामित्व की घोषणा की जाती है और प्रतिवादियों को उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा दी जाती है। यदि

उनके कब्जे में किसी भी तरह से गड़बड़ी/बाधा हुई है, तो वे भविष्य में होने वाले लाभ के साथ संबंधित संपत्ति का कब्जा वापस पाने के हकदार होंगे। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम किसी भी लागत का आदेश नहीं देते हैं।

के.के.टी.

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विकास जैन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।